MOST IMPORTANT
OUT - TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः साशा/2020/~~30599~~ 30613 दिनांक :– 27 मार्च, 2020

:: आदेश ::

जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVED-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के लिये सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की जा चुकी हैं।

इस क्रम में कोरोना वॉयरस COVED-19 के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के मध्यनजर मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा आज दिनांक 22.03.2020 को ली गई विडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जरूरत मंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार समितियां गठित कर निर्देश जारी किये जाते हैं :–

निःशुल्क भोजन वितरण समिति :–

–: जिला मुख्यालय हेतु :–

क्र.सं.	नाम/पदनाम अधिकारी/कर्मचारी	मोबाईल नंबर	
1.	अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा	99506–58669	नोड़ल अधिकारी
2.	जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा	94140–88531	सदस्य
3.	आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा	75972–04554	सदस्य
4.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा	94137–50330	सदस्य
5.	सहा0 निदे0, सामा0 न्याय अधि0 विभाग, भील0	94143–02624	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रार0 मुख्या0, भीलवाड़ा	96607–43475	सदस्य
7.	उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा	80531–15665	सदस्य
8.	क्षेत्रीय अधि0 राज0 प्रदुषणनियंत्रणमंडल, भील0	94142–62294	सदस्य
9.	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भीलवाड़ा	98297–82900	सदस्य

–: जिले के समस्त उपखण्ड क्षेत्रों हेतु :–

क्र.सं.	नाम/पदनाम अधिकारी/कर्मचारी	
1.	संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट	नोड़ल अधिकारी
2.	संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट	सदस्य
3.	संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
4.	संबंधित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	सदस्य
5.	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
6.	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक	सदस्य

.... 2

उक्तानुसार गठित समितियां भीलवाड़ा शहर एवं जिले में संचालित स्वंय सेवी संस्थाओं, भामाशाहों, दानदाताओं, उद्योगपतियों, सरपंचों, वार्ड पंचों, पार्षदों आदि से समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर शहर एवं जिले के जरूरतमन्द व्यक्तियों एवं क्षेत्रों यथा Hand to Mouth, लारी वाले, ठेले वाले, दैनिक आजिविका पर निर्भर रहने वाले परिवारों, फैक्ट्री श्रमिकों, फुटपाथ पर रहने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों, मजदूर वर्ग के व्यक्तियों/परिवारों आदि शहर के बेसहारा, निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को शहर की लॉक–डाउन अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह–शाम निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाने का कार्य सम्पादित करेगी।

साथ ही शहर एवं जिले की उक्त लॉक–डाउन अवधि के दौरान ग्राम सेवकों एवं पटवारियों के सहयोग से उक्त कार्य के सफल, प्रभावी एवं नियमित क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद व्यक्तियों अनुसार स्थानों का चिन्हिकरण, भोजन के पैकेट की मात्रा का आंकलन एवं भोजन के पैकेट वितरण हेतु रूटचार्ट तैयार कर आदि आवश्यक बिन्दुओं का समावेश करते हुये प्रभावी कार्ययोजना तैयार करेगी। उक्तानुसार गठित समिति स्थानीय स्तर पर चिन्हित स्थानों एवं रूट चार्ट की सूचना का सर्व संबंधित की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी, ताकि जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्तियों को समय पर एवं सुलभता से भोजन उपलब्ध हो सकें।

उक्तानुसार गठित जिला मुख्यालय समिति संयुक्त रूप से प्रतिदिन सांय 5.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हों, एवं उपखण्ड स्तरीय समिति ई–मेल द्वारा उन्हें सौपें गये दायित्वों के क्रम में पालना एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी।

उक्तानुसार गठित जिला मुख्यालय समिति की विशेष बैठक दिनांक 23.03.2020 को दोपहर 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय कक्ष में रखी गई हैं अतः नोड़ल अधिकारी इस हेतु समस्त सदस्यों को सूचित बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महो0, राजस्थान
2. मा0 मुख्य सचिव महो0, राजस्थान–जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
4. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज0 जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर

6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
9. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
10. सर्व संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
12. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
13. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला–भीलवाड़ा
14. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला–भीलवाड़ा
15. सर्व संबंधित ....
16. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर

को प्रेषित हैं।

जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा